कार्यालय फोन एवं फैक्स संख्या 01386–262235
E-mail Add. dfokalagarh@gmail.com

कार्यालय उप वन संरक्षक, कालागढ़ टाइगर रिजर्व प्रभाग,लैन्सडौन।

पत्रांकः– **1157 / 12-1** दिनांक, लैंसडौन, जनवरी, **27** **2021.**

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– **जनपद पौडी गढवाल में कालागढ टाइगर रिजर्व प्रभाग के पाखरौ रेंज के पाखरौ क0स0–3 एवं 8 में टाइगर सफारी की स्थापना हेतु 106.16 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु कार्बेट टाइगर रिजर्व को सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

संदर्भः– **आपका पत्रांक–1350 / एफ0पी0 / यू0के0 / रोड / 48385/2020 दिनांक–06-11-2020 एवं पत्रांक–1449/एफ0पी0 / यू0के0 / रोड / 48385/2020 दिनांक–19-11-2020**

महोदय,

सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार के पत्रांक–**8-12/2020** एफ0पी0 दिनांक–**30-10-2020** द्वारा जारी सैद्वान्तिक स्वीकृति के सापेक्ष बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्न प्रकार प्रेषित है–

1. भूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिति अपरिवर्तनीय रहेगी।
2. **NTCA** व **CZA** द्वारा टाइगर सफारी की स्थापना हेतु वैधानिक स्वीकृति निर्गत करने के समय अधिरोपित शर्तो का अनुपालन किया जायेगा।
3. टाइगर सफारी में आधारभूत संरचना में बांस एवं अन्य प्राकृतिक रूप से उपलब्ध सामग्री का प्रयोग किया जायेगा।
4. टाइगर सफारी की स्थापना हेतु गैर वानिकी कार्यों के लिये अनुमन्य भूमि **16.00** है0 के बदले **16.00** है0 क्षेत्र ग्राम जुवा, पटटी–सीला-**4,** तहसील–कोटद्वार के अन्तर्गत श्रेणी–**9(3)** ड अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि खाता संख्या–**28/79** कुल रक्वा **20.349** है0 भूमि में से **16.00** है0 भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रू0–**49.56** लाख की धनराशि जमा कर दी गई है। वृक्षारोपण में स्थानीय देशी प्रजातियों का रोपण किया जायेगा तथा एकल प्रजाति के रोपण को परिवर्जित किया जायेगा।
5. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमि का हस्तान्तरण/अमलदरामद वन विभाग के पक्ष में किया जा चुका है। इस सम्बन्ध में अभिलेखों की छायाप्रति संलग्न है।
6. क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके **10** वर्षो की अवधि के रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि जमा की जा चुकी है।
    a. गैर–वानिकी कार्यो हेतु प्रत्यावर्तित **16.00** है0 वन भूमि के सापेक्ष **NPV** एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि रू0–**199.80** लाख **RTGS** के माध्यम से भारत सरकार के उपक्रम **Corporation Bank Branch,Block-11 CGO Complex Phase-1 New Delhi 110003** के खाता संख्या **1508919948385795** में जमा की जा चुकी है। **RTGS** चालान की छायाप्रति संलग्न है।
    b. भविष्य में यदि प्रत्यावर्तित वन भूमि के सापेक्ष **NPV** की धनराशि में वृद्वि होती है तो बढ़ी हुई अतिरिक्त धनराशि जमा कर दी जायेगी। इस सम्बन्ध में प्रमाण पत्र संलग्न है।
7. पेड़ों के कटान पर होने वाला व्यय को प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा, यदि वन विकास निगम मांग करता है, जमा कर दिया जायेगा।

8. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग की रेख–देख में टाइगर सफारी की स्थापना हेतु न्यूनतम वृक्षों का कटान जिसकी संख्या प्रस्ताव में उल्लिखित ऑनलाइन वृक्षो की संख्या **163** से कम होगी किया जायेगा।
9. टाइगर सफारी की स्थापना हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी से प्राप्त धनराशि परिवेश ई–पोर्टल **(parivesh.nic.in)** के माध्यम से **Generated** चालान द्वारा कैम्पा निधि में जमा की जा चुकी है।
10. वनाधिकार अधिनियम **2006** से सम्बन्धित जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न है।
11. अनुपालन आख्या ई–पोर्टल **parivesh.nic.in** पर अपलोड कर दी गयी है।

अतः विनम्र निवेदन है कि प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार से विधिवत स्वीकृति हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अखिलेश तिवारी)
उप वन संरक्षक
कालागढ़ टाइगर रिजर्व प्रभाग
लैन्सडौन।

संख्याः– / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि–निदेशक कार्बेट टाइगर रिजर्व रामनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अखिलेश तिवारी)
उप वन संरक्षक
कालागढ़ टाइगर रिजर्व प्रभाग
लैन्सडौन।

परियोजना का नामः– जनपद पौडी गढवाल के कालागढ टाइगर रिजर्व प्रभाग के पाखरौ रेंज के अन्तर्गत पाखरौ क0स0–**8** व **3** में टाइगर सफारी निर्माण हेतु **106.16** हे0 वन भूमि का हस्तान्तरण।

<u>NPV जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में **NPV** की देय धनराशि रू0 **150.24** लाख Uttaranchal Campa के पक्ष में जमा करायी गयी है। भविष्य में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से यदि **NPV** की धनराशि में कोई वृद्धि की जाती है तो बढ़ी हुई **NPV** की धनराशि जमा कर दी जायेगी।

उप वन संरक्षक
कालागढ़ टाइगर रिजर्व प्रभाग
लैन्सडौन।

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 21-01-2021

Agency Name.	DIRECTOR CORBETT TIGER RESERVE
Application No.	19948385795
MoEF/SG File No.	8-12/2020-FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Director Corbett Tiger Reserve Ramnagar NanitalPauri Garhwal
Amount(In Rs)	19980000/-

Amount In Words :One Crore Ninety-Nine Lakh Eighty Thousand Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	1508919948385795 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- **This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only**

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 21-01-2021

Agency Name.	DIRECTOR CORBETT TIGER RESERVE
Application No.	19948385795
MoEF/SG File No.	8-12/2020-FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Director Corbett Tiger Reserve Ramnagar Nanital Pauri Garhwal
Amount(In Rs)	19980000/-

Amount In Words :One Crore Ninety-Nine Lakh Eighty Thousand Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	1508919948385795 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- **This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only**

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

आहरण वितरण अधिकारी/उप वन संरक्षक
कालागढ़ टाइगर रिजर्व प्रभाग
लैन्सडौन

Received.

State Bank of India (569) Lansdowne Pauri Garhwal

27/1/2021

UTR No SBINR52021012708248418

आदेश

उप वन संरक्षण,कालागढ़ रिर्जव प्रभाग,लैन्सडोन ने अपने पत्र संख्या– 2020/12–0 लैन्सडोन दिनांक 07 जुलाई 2020 के द्वारा अवगत कराया है कि पाखरी टाईगर सफारी की स्थापना हेतु जनपद गढ़वाल के तहसील कोटद्वार के ग्राम जुवा पट्टी सीला–4 तहसील कोटद्वार क अन्तर्गत श्रेणी 9(3) ड अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि खाता संख्या–28/79 कुल रक्का 20.394 है0 भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पाया है।

जनपद गढ़वाल के ग्राम जुवा पट्टी सीला–4 तहसील कोटद्वार क अन्तर्गत श्रेणी 9(3) ड अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि खाता संख्या–28/79 कुल रक्का 20.394 है0 भूमि में से 16.00 है0 भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु पाखरी टाईगर सफारी की स्थापना हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

कार्यालय जिलाधिकारी गढ़वाल
पत्रांक 387/ डी.एल.आर.सी.-2020-21 दि० 10-8-20

(धीराज सिंह गर्ब्याल)
जिलाधिकारी,गढ़वाल।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव,राजस्व अनुभाग–1,उत्तराखण्ड शासन,देहरादून।
2– आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
3– प्रभागीय वनाधिकारी,गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी।
4– उप वन संरक्षण,कालागढ़ टाईगर रिर्जव प्रभाग लैन्सडोन।
5– उपजिलाधिकारी,कोटद्वार।

(धीराज सिंह गर्ब्याल)
जिलाधिकारी,गढ़वाल।

प्रपत्र– 23.4

परियोजना का नाम–जनपद पौड़ी गढ़वाल में कालागढ़ टाईगर रिजर्व प्रभाग लैंसडौन के अन्तर्गत पाखरौ रेंज के पाखरौ ब्लाक के क0सं0 3 व 8 में टाईगर सफारी परियोजना निर्माण कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र

जनपद पौड़ी गढ़वाल में कालागढ़ टाईगर रिजर्व प्रभाग लैंसडौन के अन्तर्गत पाखरौ रेंज के पाखरौ ब्लाक के क0सं0 3 व 8 में टाईगर सफारी परियोजना निर्माण कार्य हेतु **106.16** हे0 वन भूमि कालागढ़ टाईगर रिजर्व प्रभाग लैंसडौन (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव किया गया है। भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र संख्या 011-9/98-एफ0सी0 दिनांक 05-02-2013 के द्वारा रेखाकार (Linear) प्रयोजनों यथा– सड़क ,नहर, पारेषण लाईन,ओ0एफ0सी0 केबिल एवं पाइप लाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agriculture Tribal Groups) के अधिकार प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

जिलाधिकारी

जिलाधिकारी
गढ़वाल